राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 121/2020

1. सरदार सिंह पुत्र अर्जुनराम उम्र 50 वर्ष जाति गुर्जर
   निवासी फागणा की ढाणी तन गुणीनीचा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)
2. बिड़दी देवी पुत्री अुर्जनराम पत्नि प्रभुराम उम्र वर्ष जाति गुर्जर
   हाल निवासी तैला बास, रामपुरा जिला जयपुर (राज.)

......... प्रार्थीगण

**ब–ना–म**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

**प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती**

**निर्णय** **दिनांक 22–02–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम गुणीनीचा पटवार हल्का माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित जमाबन्दी संवत 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 40 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सरदारा पुत्र अर्जुन के स्थान पर सरदार सिंह पुत्र अर्जुनराम तथा वाके ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 149 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सरदाराराम पुत्र अर्जुनराम के स्थान पर सरदार सिंह अर्जुनराम एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम बनारसी देवी पुत्री अर्जुनराम के स्थान पर बिड़दी देवी पुत्री अर्जुनराम दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 40 ग्राम गुणीनीचा व नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 149 ग्राम कोल्याली पेश की गई तथा गवाह मूलचन्द पुत्र हनुमानराम जाति गुर्जर उम्र 75 वर्ष निवासी माधोगढ़ व विक्रम सिंह पुत्र नानचाराम जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी माधोगढ़ के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम गुणीनीचा पटवार हल्का माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित जमाबन्दी संवत 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 40 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सरदारा पुत्र अर्जुन के स्थान पर सरदार सिंह पुत्र अर्जुनराम तथा ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 149 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सरदाराराम पुत्र अर्जुनराम के स्थान पर सरदार सिंह अर्जुनराम एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम वनारसी देवी पुत्री अर्जुनराम के स्थान पर बिड़दी देवी पुत्री अर्जुनराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner